



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http://govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 316 / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 2021

दिनांक:- 26/02/2021

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शासकीय पत्रसंख्या-270 / 111(1) / 18-86(अधि0) / 2007 दिनांक-26.02.2018 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अनुपालन में इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-672 / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 2018 दिनांक- 31.03.2018 एवं कार्यालय ज्ञापसंख्या-40 / 34व्यक-स्थानान्तरण-सा0 / 2020 दिनांक-04.01.2020 द्वारा उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के दुर्गम एवं सुगम स्थलों के चिन्हिकरण किये जाने के आदेश पारित किये गये है।

उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अन्तर्गत वर्ष-2021 के स्थानान्तरण हेतु लोक निर्माण विभाग के समूह-क/ख/ग/घ के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में चिन्हिकरण अर्थात् सुगम व दुर्गम स्थलों को उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक-31.03.2018 एवं दिनांक-04.01.2020 के अनुसार यथावत रखे जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते है।

E/O

(हरिओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. मुख्य अभियन्ता (नियोजन/अधिष्ठान/गुणवत्ता नियंत्रण), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
03. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
04. वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
05. वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (नियोजन/अधिष्ठान/गुणवत्ता नियंत्रण), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
06. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
07. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
08. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रश्नगत प्रकरण लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
09. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. प्रशासनिक/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, व्यवस्थापन-ख/ग/घ एवं कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11. लोक निर्माण विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संघ.....
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

E/O
26/02/2021